

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2465] No. 2465] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 2, 2018/आषाढ़ 11, 1940

NEW DELHI, MONDAY, JULY 2, 2018/ASHADHA 11, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

का.आ. 3215(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 45-झ के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 23 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 615(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

कथित अधिसूचना में, अनुसूची में, -

- (क) क्रम सं. 18 के कॉलम (3) के अंतर्गत, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत:
 - "1. संघ राज्यक्षेत्र पुदुच्चेरी के जिला पुदुच्चेरी तथा कराइकल के लिए 2. संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह";
- (ख) क्रम सं. 24 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी. नामत:-

(1)	(2)	(3)
"24.	उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, केरल	केरल राज्य तथा पुदुच्चेरी संघ राज्यक्षेत्र का माहे जिला";

3735 GI/2018 (1)

(ग) क्रम सं. 40 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत:-

(1)	(2)	(3)
"40.	उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,	तेलंगाना राज्य'';
	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना	

(घ) क्रम सं. 41 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत:-

(1)	(2)	(3)
"41.	उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,	आंध्र प्रदेश राज्य तथा पुदुच्चेरी संघ
	क्षेत्रीय कार्यालय, आंध्र प्रदेश	राज्यक्षेत्र का येनम जिला";

(ङ) क्रम सं. 44 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत:-

(1)	(2)	(3)
"44.	उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,	असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा
	क्षेत्रीय कार्यालय, असम	नागालैण्ड राज्य";

(च) क्रम सं. 50 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत:-

(1)	(2)	(3)
"50.	उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,	पंजाब राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र,
	क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब	चंडीगढ़।

[फा.सं. एस-38025/25/2010-एसएस-I] मनीष कृमार गृप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (ii) की अधिसूचना संख्या का.आ. 615 (अ), दिनांक 23 मार्च, 2011 में प्रकाशित हुई।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2018

S.O. 3215(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of the section 45-I of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O 615(E), dated the 23rd March, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), namely:-

In the said notification, in the Schedule,-

- (a) against serial number 18, under column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
 - "1. Union Territory of Puducherry for District Puducherry and Karaikal. 2. Union Territory of Andaman and Nicobar Island";
- (b) for serial number 24 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
	Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation, Regional Office, Kerala	State of Kerala and Mahe District of Puducherry";

(c) for serial number 40 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
	Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation, Regional Office, Hyderabad, Telangana	State of Telangana";

(d) for serial number 41 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"41.	Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation, Regional Office, Andhra Pradesh	State of Andhra Pradesh and District Yanam of Puducherry";

(e) or serial number 44 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
	Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation, Regional Office, Assam	State of Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura and Nagaland";

(f) for serial number 50 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
	Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation, Regional Office, Punjab	State of Punjab and Union Territory of Chandigarh";

[F. No. S-38025/25/2010-SS-I] MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal notification were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* notification number S.O. 615(E), dated the 23rd March, 2011

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

का.आ. 3216(अ).— कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 45-झ के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन व्याप्त सभी कारखानों तथा स्थापनों के संबंध में उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है, नामत: -

अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्र, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकार प्रयोग
		किया जाना है।
(1)	(2)	(3)
1.	उप निदेशक या सहायक निदेशक	आंध्र प्रदेश राज्य
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
	उप क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुपति	
	आंध्र प्रदेश।	
2.	उप निदेशक या सहायक निदेशक	मध्य प्रदेश राज्य
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
	उप क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	
	मध्य प्रदेश।	
3.	उप निदेशक या सहायक निदेशक	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नंदनगरी	
	दिल्ली।	

[फा.सं. एस-38025/25/2010-एस एस-I] मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2018

S.O.3216(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of the section 45-I of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, hereby authorises the officers mentioned in column (2) of the Schedule below to exercise the powers of Recovery Officer under the said Act on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette for the area mentioned in column (3) of the said Schedule, in relation to all factories and establishments covered under the provisions of the said Act, namely:-

SCHEDULE

S. No.	Designation of the Officer	Area in relation to which jurisdiction to be exercised.
(1)	(2)	(3)
1.	Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation, Sub-Regional Office, Tirupati, Andhra Pradesh	State of Andhra Pradesh.
2.	Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation, Sub-Regional Office, Bhopal, Madhya Pradesh	State of Madhya Pradesh.
3.	Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation, Sub-Regional Office, Nandanagari, Delhi	National Capital Territory of Delhi.

[F. No. S-38025/25/2010-SS-I] MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.